# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
## (पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

**अपीलार्थी**

श्री जवानसिंह पुत्र स्वरुपसिंह जी, जाति- राव, निवासी- चान्दाना, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

**बनाम**

**प्रत्यर्थी**

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 05/2019

''अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956''

**उपस्थितिः**

1. अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

**-: निर्णय :-** **दिनांक 18 अक्टूम्बर, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्याः 60/2017 में पारित निर्णय दिनांक 16.1.2019 बाबत ग्राम चान्दाना के खसरा संख्या 108 रकबा 70x100 वर्गफीट किस्म गोचर भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध पेश की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने का निर्णय पारित करने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये जवाब में अंकित तथ्यों पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि गोचर भूमि नही है तथा यह आबादी भूमि है, जो अपीलार्थी को 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत स्वेच्छा से नसबंदी ऑपरेशन करवाने पर ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित की गई थी व उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिस पर अपीलार्थी का संवत 2043 से आज दिन तक निर्बाध रुप से चला आ रहा है। विवादित भूमि गोचर भूमि नही होकर आबादी भूमि है व राजस्व रेकर्ड में भी आबादी दर्ज है, जो तहसीलदार, शिवगंज के आदेश क्रमांक/राजस्व/83/370 दिनांक 15.6.1983 के द्वारा ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी तथा अपीलार्थी द्वारा नसबंदी ऑपरेशन करवाने पर उसे उक्त भूमि का आवंटन हुआ था, जिस पर अपीलार्थी का कब्जा स्वामित्व है। यह कि विवादित भूमि आबादी भूमि होने से ग्राम पंचायत को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.) -307001.

1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का कोई कानूनन अधिकार नही है तथा विवादित भूमि आबादी भूमि होने से तहसीलदार को भी धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का कोई हक अधिकार नही है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि सचिव, ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में ग्राम चान्दाना की गोचर भूमि पर वाडा बनाकर अतिक्रमण करने की सूची प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया है, जिस पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है, अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, केसरपुरा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम चान्दाना के खसरा संख्या 108 रकबा 70x100 वर्गफीट किस्म गोचर भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया जाने से अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 26.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी जवानसिंह उपस्थित हुआ एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हल्का पटवारी, केसरपुरा की रिपोर्ट दिनांक 24.12.2018 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मौके पर अपीलार्थी का कब्जा आबादी भूमि पर नही होकर खसरा संख्या 108 किस्म गोचर भूमि में स्थित है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

18.10.2019

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.11.08 12:18:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: